न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–682/2026

राज्य बनाम अभिषेक नेगी

प्रार्थी/अभियुक्त–अभिषेक नेगी आयु 25 वर्ष पुत्र श्री भजन नेगी, निवासी–ग्राम उचली गांव पो0 पौड़ी, थाना–पौड़ी, जिला पौड़ी गढवाल।

मु.अ.सं. 179/2026
अंतर्गत धारा 303(2), 317(2)
भारतीय न्याय संहिता, 2023
अंतर्गत थाना –कोतवाली,
जिला देहरादून।

अभियुक्त की ओर से : श्री अम्बर कोटनाला, असिस्टेट लीगल एण्ड डिफेंस काउसिंल, देहरादून।

राज्य की ओर से : श्री देवमणी पाण्डेय, विद्वान लोक अभियोजक अधिकारी।

दिनांक 04.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक नेगी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–179/2026, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, देहरादून मे निरूद्ध है।

2. संक्षिप्त में अभियुक्त द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा उपरोक्त मामले में झूठा गिरफ्तार कर दिनांक 17.05.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तभी से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही कोई जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे उपरोक्त अपराध में पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई भी माल बरामद नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा घटना दिनांक 13.05.2026 को कारित होना दर्शाया गया है, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 15.05.2026 को दर्ज करायी गयी है तथा वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करने का कोई उचित कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्त के द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. थाना कोतवाली नगर, जिला देहरादून से जरिये विद्वान लोक अभियोजक अधिकारी द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त को वादी की चोरी हुई मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अतः उपर्युक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है। उपर्युक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक को सुना तथा इस स्तर पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रो का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के कथनानुसार अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.05.2026, स्थान गुरू नानक स्कूल के पास, अंतर्गत थाना कोतवाली नगर, देहरादून से वादी मुकदमा की स्पेलेण्डर मोटर साइकिल संख्या–यू0के0–07–ए0जेड0–9945 को चोरी किया गया, जो कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद किये जाने कथित अभियोग है, जो कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना दर्शित है। इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से कथन किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। अभियोजन की ओर से कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह दर्शित नहीं है। अभियुक्त द्वारा कारित अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 17.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

6. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्ति किये बिना प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त को दौराने वाद जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

7. **अभियुक्त अभिषेक नेगी** का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अभियुक्त द्वारा रु0 30,000/–(तीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो सक्षम व विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, दौराने वाद, इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त आक्षेपित अपराध पुनः कारित नहीं करेगा व मामले में शीघ्र निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब कारित नहीं करेगा।

8. उत्तराखण्ड क्रिमनल कोर्ट प्रोसिजर प्रेक्टिस रूल 2021, नियम 33 (यथा संशोधन) के अनुक्रम में कार्यालय को आदेशित किया जाता है, कि निरूद्ध अभियुक्त को, जरिये जेल अधीक्षक, जमानत प्रार्थनापत्र, आख्या व आदेश की प्रति प्राप्त कराये जाने हेतु, प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।